



संचिका संख्या- SHSB/PM/595/2022

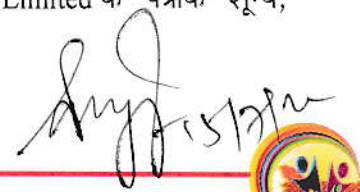
आदेश संख्या 2459 दिनांक 16/08/2022

कार्यालय आदेश

BMSICL के गठन एवं उनके स्तर से केन्द्रीयकृत औषधि आपूर्ति प्रारंभ करने के पूर्व राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं/चिकित्सकीय सामग्रियों की जिलों के स्तर से स्वयं क्रय करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा दर अनुबंध कर जिलों के सिविल सर्जन एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को संसूचित किया जाता था। सरकारी अस्पतालों की आवश्यकता के अनुरूप दर अनुबंधित एजेंसियों को सिविल सर्जन/अधीक्षक द्वारा क्रयादेश निर्गत कर विहित प्रक्रियानुसार औषधियों की आपूर्ति प्राप्त की जाती थी। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्र संख्या-29695, दिनांक 27.08.2011 द्वारा M/s Omega Biotech Limited, 7th Mile Stone, Dehradun Road, Roorkee- 247667, Distt.- Haridwar, Uttarakhand. Local Depot - C/o- Zenith Drugs, near Devi Asthan Mandir, Mohanpur, Punaichak Patna- 23 से Capsule Ampicilline+Cloxacilline 250mg+250mg की आपूर्ति हेतु दर अनुबंध किया गया था।

2. सिविल सर्जन, भोजपुर के क्रयादेश संख्या-2126, दिनांक 31.08.2013 द्वारा दर अनुबंधित उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Omega Biotech Limited को Ampicilline+Cloxacilline 250mg+250mg आपूर्ति करने का क्रयादेश निर्गत किया गया था। उक्त अनुबंधित फर्म द्वारा सिविल सर्जन, भोजपुर को उक्त औषधि की आपूर्ति नहीं की गयी। फलतः सिविल सर्जन, भोजपुर द्वारा जिला क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित दर के आधार पर उक्त औषधि का स्थानीय स्तर पर क्रय करना पड़ा। महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा स्थानीय क्रय किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान होने पर अंकेक्षण आपत्ति अंकित की गयी है। विषयांकित मामले की लोक लेखा समिति (मुख्य) द्वारा समीक्षा के दौरान माननीय सभापति महोदय द्वारा दवा आपूर्ति नहीं करने वाले फर्म के विरुद्ध कार्रवाई कर, कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय, महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश है।

3. उक्त के संदर्भ में सिविल सर्जन, भोजपुर के पत्रांक 635, दिनांक 14.02.2019 के आलोक में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अपने पत्रांक OB01/2019, दि० 25.03.19 के माध्यम से सिविल सर्जन, भोजपुर को दिया गया स्पष्टीकरण विरोधाभासी एवं Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 में सन्निहित प्रावधानों के विपरीत पाया गया, अतएव अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय का पत्रांक 2335, दिनांक 11.07.2022 द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Omega Biotech Limited से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत पुनः एक अवसर प्रदान करते हुये यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि क्यों नहीं विषयांकित Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 के उल्लंघन के आलोक में उनके फर्म को एक वर्ष के लिये काली सूची में दर्ज करते हुये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत आगामी एक वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगा दी जाये। उक्त के आलोक में आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Omega Biotech Limited के पत्रांक शून्य,







दिनांक 12.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो सम्यक समीक्षोपरांत निम्न बिन्दु पर असंतोषप्रद पाया गया:-

आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Omega Biotech Limited के द्वारा अपने पत्रांक OB01/2019, दि० 25.03.19 में एक तरफ यह अंकित किया गया है कि सिविल सर्जन, भोजपुर के क्रयादेश संख्या 2126, दिनांक 31.08.2013 के आलोक में Proforma Invoice No- OP-75, दिनांक 14.09.2013 निर्गत किया गया, किन्तु औषधियों की अनुपलब्धता की वजह से उक्त औषधियों की आपूर्ति नहीं की जा सकी, वही दूसरी तरफ यह भी अंकित किया गया है कि Payment नहीं मिलने की वजह से औषधियों की आपूर्ति नहीं की गयी। पुनः अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 12.07.2022 के द्वारा अपनी बातों को Reiterate करते हुये इस तथ्य को छुपा लिया गया कि उस वक्त Depot में उक्त औषधि उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण आपूर्ति नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि Cash and Carry Mechanism के तहत अग्रिम भुगतान (Advance Payment) का कोई प्रावधान नहीं था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Omega Biotech Limited के द्वारा विषयांकित Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 का उल्लंघन किया गया है।

4. अतः M/s Omega Biotech Limited, 7th Mile Stone, Dehradun Road, Roorkee- 247667, Distt.- Haridwar, Uttarakhand को आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिये काली सूची में दर्ज करते हुये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत आगामी एक वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगायी जाती है।

(संजय कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक SHSB/PM/595/2022...2459.

पटना, दिनांक 16/07/2022

प्रतिलिपि : M/s Omega Biotech Limited, 7th Mile Stone, Dehradun Road, Roorkee- 247667, Distt.- Haridwar, Uttarakhand. Local Depot - C/o- Zenith Drugs, near Devi Asthan Mandir, Mohanpur, Punaichak Patna- 23 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक SHSB/PM/595/2022...2459.

पटना, दिनांक 16/07/2022

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- श्री प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को लोक लेखा समिति की लंबित कंडिका 3.3 वर्ष 2013-14 (सा०सा० एवं आ०प्र०) के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को लोक लेखा समिति की लंबित कंडिका 3.3 वर्ष 2013-14 (सा०सा० एवं आ०प्र०) के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- निदेशक, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी असेैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(कार्यपालक निदेशक)

